12/01/2021	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 02/02/2021 को पेश हो ।
02/02/2021	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 18/02/2021 को पेश हो ।
18/02/2021	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 23/02/2021 को पेश हो ।
23/02/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बावडी से मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस एवं आदेशार्थ दिनांक 25/02/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी
25/02/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 691/2 [illegible] राज्य सरकार द्वारा निष्पादित [illegible] रेकर्ड प्रक्रिया में तहसील [illegible] आनलाईन होने के दौरान सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश हुई गलत तरमीम को दुरुस्त करवाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested

...र/ जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार मौका स्थिति एवं कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धि का आदेश करवाने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

बाद अवलोकन, अध्ययन एव मनन के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम लवेरा खुर्द के मूल खसरा 691 की तरमीम, ऑनलाईन वर्तमान तरमीम खसरा सं. 691/1, 691/2 व 691 के स्थान पर मौके की स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम खसरा सं. क्रमश: 691/2, 691 व 691/1 की जावे। तहसीलदार बावड़ी उक्तानुसार, मौका जाँच रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि कर राजस्व रेकर्ड के नक्शों में अमलदरामद [illegible] तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जाँच रिपोर्ट हेतु आदेश का भाग रहेगी। [illegible] के पालनार्थ तहसील जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:42:21 IST
Reason: SelfAttested